फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कुका डांगी | विपक्षी : राज्य व अन्य

किस्म मुकदमा –136 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 82/24

जीसीएमएस : 2024/322

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 27.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2077–80 में आराजी नम्बर 958 किस्म बीड़ रकबा 0.0890 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। संवत 2032–35 की जमाबन्दी के अनुसार आराजी नम्बर 958 रकबा 0.11 बीघा की किस्म भी बीड़ अंकित है। नक्शा (राजस्व) में आराजी नम्बर 958 रास्ता के रूप में दर्शाया हुआ है।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम गन्दोली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 19 पर दर्ज आराजी नम्बर 958 रकबा 0.0890 किस्म बीड दर्ज है। आराजी नम्बर 19 का नक्शा अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त आराजी की आकृति रास्तेनुमा होकर मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग – उपभोग आ रही है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप – 6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(10)राज–6/2024/8 जयपुर दिनांक 04.04.2025 जारी कर निर्देशित किया गया है कि कृषि भूमियों पर आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए, जिससे जाहीर होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार द्वारा भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में प्रर्णित आराजीयात राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्शायी गई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामिण क्षेत्रो में बंटवाड़ा करवाया जाता है तो रास्ते की भूमि को सामलाति रख लिया जाता है। तहसीलदार द्वारा भूमि रास्ते की भूमि की किस्म को रास्ता दर्ज नही कर पूर्व की किस्म ही अंकित कर दी जाती है। जिससे रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही होता है। उक्त प्रकरण में भी उक्त आराजी नक्शे में रास्तेनुमा ही दर्ज है परन्तु किस्म बीड़ अंकित है। उक्त भूमि की किस्म बदलकर रास्ता दर्ज कर दी जाती है तो जिससे किसी के भी हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा बल्कि आमजन के लिए रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। परन्तु जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार उक्त आराजी पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर के प्रकरण संख्या 04/2016 का स्थगन का आदेश होने से रिकॉर्ड में परिवर्तन नही किया जा सकता है। इसलिए उक्त निर्णय को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के आदेश के अध्यधीन रखा जाना न्यायोचित पाया जाता है।

: : आदेश : :

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि ग्राम गन्दोली पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 19 पर दर्ज आराजी नम्बर 958 रकबा 0.0890 की किस्म बीड के बजाय गै.मु. रास्ता दर्ज की जावे। जमाबंदी पर अंकित नोट अनुसार उक्त आराजी पर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर के प्रकरण संख्या 04/2016 का स्थगन का आदेश होने से उक्त आदेश का अमलदराम स्थगन हटने के पश्चात ही किया जावे। साथ ही प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर के अध्यधीन रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:13 IST
Reason: SelfAttested